

## बाल गणेश चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

1.	योजना का नाम	बाल गणेश चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	शहरी क्षेत्रों में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी अधिकांशतः आर्थिक रूप से वंचित वर्ग से संबंधित होते हैं। राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ऐसे विद्यार्थियों को गुणात्मक व्यापक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिये निजी सहभागिता आधारित मॉडल को लागू किया है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 2008-09
4.	लाभान्वित वर्ग	जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी
5.	पात्रता	जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी
6.	देय सुविधाएं	कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदत्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की प्रकृति व्यापक होगी। योजनान्तर्गत सेवाओं में शामिल विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग आउट-पेसेन्ट, इन-पेसेन्ट, स्पेशलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी की देखभाल, प्राथमिकता से विशेषज्ञों के समूह द्वारा की जायेगी। समस्त रोग/बीमारियाँ, पूर्व रोगग्रस्थ की स्थितियाँ जो विद्यार्थियों को प्रभावित करती हैं, को भी शामिल किया जायेगा। बीमारियों में जन्मजात हृदय रोग, टी.बी., एच.आई.वी. एड्स, पॉइजनिंग एवं सभी प्रकार की सर्जरी को शामिल किया जायेगा।
7.	आवेदन का तरीका	-
8.	आवेदन कहाँ किया जावे	-
9.	आवेदन के साथ	-

	औपचारिकताएं	
10.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिला कलक्टर